७. आयकर[१]

कुछ लोग समझते हैं कि जनसेवी संस्थाएँ आयकर से स्वतः मुक्त होती हैं। यह सही नहीं है। आपको आयकर से मुक्ति के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी। इसके बाद आपको आयकर से मुक्त रहने के लिए कुछ शर्तों का पालन करने की आवश्यकता होगी। साथ ही, अन्य आवश्यकताएँ भी हैं जो जनसेवी संस्थाओं के कार्य पर प्रभाव डालती हैं।

वृहत् रूप से तीन प्रकार के पञ्जीकरण होते हैं। मूलभूत पञ्जीकरण का अर्थ है कि जनसेवी संस्था अपने आयाधिक्य[२] के लिए आयकर[३] नहीं देगी। यह बहुत ही आवश्यक पञ्जीकरण है तथा प्रत्येक जनसेवी संस्था को यह कराना चाहिए।

अगला पञ्जीकरण टी० डी० एस०[४] के लिए है। जनसेवी संस्थाओं द्वारा कुछ लोगों को भुगतान करने से पूर्व आयकर की कटौती करना आवश्यक है। आयकर काट लेने के पश्चात इसे सरकार के पास जमा करवाना पड़ता है।

तीसरा पञ्जीकरण दान-दाताओं के अनुमोदन हेतु कराना पड़ता है। इस अनुमोदन का अर्थ है आपके दान-दाताओं को, आपको धन दान देने पर आयकर में छूट मिलेगी।

क) मूलभूत पञ्जीकरण तथा छूट

जो जनसेवी संस्थाएँ विकास[५] कार्य में संलग्न हैं उनके लिए मूलभूत आयकर छूट दो तरह की हो सकती है। एक धारा-१० के अन्तर्गत तथा दूसरी धारा-११ के अन्तर्गत।

१. धारा - १० के अन्तर्गत छूट

धारा - १० की कई उपधाराएँ हैं। प्रत्येक उपधारा के कई उपबन्ध हैं। जनसेवी संस्थाओं के लिए सम्बन्धित उपबन्ध १०(२३सी)(v)[६] है। यह छूट आसानी से प्राप्त नहीं होती है। आपको अपने स्थानीय आयकर आयुक्त के माध्यम से कोलकता में आयकर महानिदेशक (छूट) के पास आवेदन करना होगा। यह आवेदन प्रारूप ५६ में भर कर करना होगा।

जाँच के बाद, आपका आवेदन अनुमोदित हो सकता है। उसके बाद एक अधिसूचना प्रकाशित की जायेगी। छूट अधिकतम तीन वर्ष के लिए प्रदान की जायेगी। उसके बाद आपको नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

२. धारा- ११ के अन्तर्गत छूट

धारा - ११[७] के अन्तर्गत छूट प्राप्त करना सरल है। इसके लिए आपको स्थानीय आयकर आयुक्त को पञ्जीकरण के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आप प्रारूप १०-एका प्रयोग करें। आपको यह आवेदन स्थापना[८] के एक वर्ष के अंदर करना चाहिए।

---

[१] यहाँ केवल आधारभूत सूचनाएँ ही प्रदान की जा रही हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने वकील या सलाहकार से सम्पर्क कर लें।

[२] कुछ शर्तों के अधीन।

[३] जब आय (अनुदान को सम्मिलित करके), व्यय से अधिक होता है तो आधिक्य की स्थिति होती है।

[४] स्रोत पर आयकर की कटौती (Tax Deduction at Source)।

[५] इस हेतु आयकर अधिनियम में " चैरिटिबल" (पुण्यार्थ) शब्द का प्रयोग किया गया है।

[६] इसे इस तरह से कहा जा सकता है-धारा १०, उपधारा २३ सी देखें। यदि आप और अधिक स्पष्ट होना चाहते हैं तो उपवाक्य पाँच देखें। यदि स्वयं सेवी संस्था राष्ट्रीय या क्षेत्रिय महत्व का है, तो आप उपवाक्य (iv) देख सकते हैं।

[७] कभी-कभी इसे '१२-ए पंजीकरण' भी कहा जाता है।

[८] संस्था या न्यास की स्थापना

यदि कुछ कारणों से आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो आयुक्त इसकी अनदेखी कर सकते हैं। इसके लिए आपको विलम्ब के लिए क्षमा किया जाए, कहते हुए अलग से एक आवेदन[१] देना चाहिए।

आयुक्त आप के आवेदन पर छः माह के भीतर निर्णय लेंगे। इसके लिए आपको और सूचनाएँ प्रदान करनी होंगी तथा व्यक्तिगत सुनवाई में जाना पड़ सकता है। आयुक्त के पास पञ्जीकरण आवेदन को अस्वीकार[२] करने का अधिकार भी है।

ख) स्थायी खाता संख्या

हाल के वर्षों में, आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या पद्धति में कुछ परिवर्तन किये हैं। परिणामस्वरूप करीब-करीब सभी लोगों को स्थायी खाता संख्या (पैन) के लिए आवेदन करना होगा। इस संख्या का उद्धरण धीरे-धीरे सभी आवश्यक लेन-देन के लिए अनिवार्य हो जाएगा। परन्तु, इसका आशय यह नहीं है कि आप पास की दूध की दुकान से बिना अपना स्थायी-खाता-संख्या बताए दूध भी न ला सकें।

आपकी जनसेवी संस्था के लिए भी आवश्यक है कि वह स्थायी खाता संख्या के लिए आवेदन करे। इसके लिए प्रारूप संख्या ४९-ए आपके अङ्केक्षक या आपके स्थानीय आयकर अधिकारी के पास उपलब्ध होगा। उनसे स्थाई खाता संख्या आवेदन-प्रारूप के लिए कहिए। प्रारूप की दो प्रतियाँ भर कर आयकर कार्यालय में जमा करवाएँ। एक प्रति आपको वापस कर दी जाएगी। कुछ क्षेत्रों में, इस कार्य के लिए अलग से कार्यालय नियुक्त किये गये हैं। वहाँ से आपको एक स्वीकृति-पत्र प्राप्त होगा, जिसे आपको संभाल कर रखना होगा।

कुछ समय के बाद आपको प्लास्टिक चढ़ा[३] कार्ड मिलेगा जिस पर आपका स्थाई खाता संख्या लिखा होगा। व्यक्तियों के पैन कार्ड पर उनका चित्र भी लगा होता है। इस संख्या को अपनी दैनन्दिनी में लिख लें ताकि जहाँ लोग माँगे वहाँ आप अपनी पैन संख्या बता सकें।

कभी-कभी पैन आने में बहुत समय लगता है। जब तक आपको पैन नहीं मिलता, आप सामान्य अभिसूचक पञ्जिका संख्या (General Index Register No.) का उद्धरण कर सकते हैं। यह संख्या आपके कर-निर्धारण आदेश में दी गयी होती है।

अन्ततः वह व्यक्ति जिसके पास न तो पैन है और ना ही सामान्य अभिसूचक पञ्जिका संख्या, प्रारूप - ६०[४] भर कर इसकी घोषणा कर सकता है तथा अपना लेन-देन पूर्ण कर सकता है।

ग) विशेष शर्तें

आयकर के अन्तर्गत, कुछ विशेष शर्तें हैं। यदि आप इनका पालन नहीं करते हैं तो आपको आयकर या आर्थिक दण्ड देना पड़ सकता है। कुछ स्थितियों में कारावास भी सम्भव है।

१. रोकड़ में बड़ा ऋण या व्यय

आयकर अधिनियम[५] के अन्तर्गत २०,००० रुपये या इससे अधिक का ऋण लेना या लिए गये ऋण का पुनर्भुगतान "खाता भुगतान" रेखाङ्कित धनादेश या बैंक धनादेश द्वारा होगा। इस २०,००० रुपये की सीमा का क्या अर्थ है ? प्रत्यक्षतः जो ऋण २०,००० रुपये या इससे अधिक के हैं वह इसमें आ जाते हैं। यह प्रतिबन्ध उस समय भी लागू होता है जब किसी एक व्यक्ति को दो या उससे अधिक बार दिया गया ऋण २०,००० रुपये या इससे अधिक के हों। इस विधिक स्थिति को आगे दिये गये उदाहरण से आप समझ सकते हैं:

---

[१] आवेदन का प्रारूप, प्रारूप खण्ड में।

[२] धारा १२ एए

[३] लेमिनेटिड (Laminated)

[४] कृषि आय वाले व्यक्तियों के लिए प्रारूप - ६१

[५] धारा-२६९ एस एस

श्री अजय चौधरी का खाता						
दिनाङ्क	विवरण	रो·ब·पृ·संख्या	नामे	जमा	नामे / जमा	शेष
४-४-९८	रोकड़ ऋण लिया			१०,०००	जमा	१०,०००
१५-५-९८	रोकड़ ऋण लिया			७,०००	जमा	१७,०००
२९-६-९८	रोकड़ लौटाया		८,०००		जमा	९,०००
१४-७-९८	ऋण लिया			१०,०००	जमा	१९,०००

आयकर अधिनियम का उल्लंघन नहीं हुआ।

श्री वेङ्कट का खाता						
दिनाङ्क	विवरण	रो·ब·पृ·संख्या	नामे	जमा	नामे / जमा	शेष
५-४-९८	रोकड़ ऋण लिया			१०,०००	जमा	१०,०००
१०-५-९८	रोकड़ ऋण लिया			१०,०००	जमा	२०,०००
२५-६-९८	रोकड़ लौटाया		८,०००		जमा	१२,०००

१० मई ९८ को आयकर अधिनियम का उल्लंघन हुआ।

श्रीमती कल्याणी देवी का खाता						
दिनाङ्क	विवरण	रो·ब·पृ·संख्या	नामे	जमा	नामे / जमा	शेष
४-४-९८	रोकड़ ऋण लिया			२०,०००	जमा	२०,०००

अधिनियम अतिक्रमित

आयकर अधिनियम के अनुसार आपको कोई भी ऐसा भुगतान (व्यय या सम्पत्तियों[१] के लिए) जो २०,००० रुपये से अधिक का है, रोकड़[२] में नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा नकद भुगतान करते हैं तो इसकी २० प्रतिशत राशि वापस आपकी आय में जोड़ दी जाएगी। इसके[३] कुछ अपवाद भी हैं। इसमें किसानों को कृषि उपज के लिए तथा कुटीर उद्योगों के लिए भुगतान सम्मलित हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति को भुगतान कर रहें हैं जो किसी ऐसे स्थान पर रह रहा है जहाँ बैङ्क की सुविधा नहीं हैं, तो आप रोकड़ में भुगतान कर सकते हैं।

---

[१] यहाँ यह याद रखना चाहिए कि जनसेवी संस्थाओं को सम्पत्ति हेतु भुगतान करने पर शत- प्रतिशत की कटौती मिल जाती है।

[२] धारा- ४० ए (३)

[३] नियम- ६ डी डी

कभी-कभी व्यावसायिक व्यक्तियों को बड़े भुगतान खण्डों में करनें का परामर्श दिया जाता है ताकि प्रत्येक भुगतान २०,००० रुपयों से कम का हो। यह जनसेवी संस्थाओं के लिए अच्छा विचार नहीं है क्योंकि संस्थाएँ सामाजिक रूप से अधिक ज़िम्मेदार तथा उत्तरदायी हैं।

२. निवेश तथा बैङ्क खाता

आप से अपेक्षा की जाती है कि आप जनसेवी संस्थान की निधि को बैङ्क खाते में रखेंगे या किसी निर्दिष्ट स्थान पर निवेश करेंगे[१]। इनकी सूची[२] नीचे दी गई है।

- शासकीय बचत पत्र (इन्दिरा विकास-पत्र तथा किसान विकास-पत्र को सम्मिलित करके।)
- डाक घर बचत-खाता
- किसी अनुसूचित[३] बैङ्क या किसी सहकारी बैङ्क में खाता (चाहे स्थाई या बचत)
- केन्द्र या राज्य सरकार प्रतिभूति
- भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इकाई
- किसी भी लोक खण्ड की कम्पनी में अंश या निक्षेप
- भूमि, भवन या अन्य स्थायी सम्पत्ति
- किसी अनुमोदित[४] औद्योगिक वित्त निगम में निक्षेप या ऋण-पत्र
- किसी अनुमोदित गृह ऋण कम्पनी में निक्षेप या ऋण-पत्र
- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) में निक्षेप इत्यादि
- अन्य निर्धारित निवेश (म्यूच्यूअल फंड की इकाई; भारतीय लोक खाता के लिए निक्षेप)

परन्तु, स्थानीय विधिनुसार (जैसेः बम्बई लोक न्यास अधिनियम) अन्य विशेष निवेश भी हो सकते हैं। निवेश करने से पूर्व आपको अपने राज्य की सामान्य स्वीकृत निवेश की एक सूची बना लेनी चाहिए। समय-समय पर इस सूची में परिवर्तन भी करते रहना चाहिए। निवेश करने से पूर्व अपने अङ्केक्षक से पूछें।

३. आय वर्धन के लिए अलग खाता-बही

क्या आप किसी आय वर्धक कार्यविधि में संलग्न हैं ? यह दो प्रकार की हो सकती हैंः एक, जहाँ आप ग्रामीणों को कोई आर्थिक कार्य करने के लिए सहायता करते हैं। तथा दो, जहाँ आप स्वयं इस तरह का कार्य करते हैं। पहली स्थिति में आप को आय नहीं होती तथा आपके खाता-बही में कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी।

दूसरी स्थिति में आप को कुछ आय प्राप्त होगी। यह आय पुस्तकों के विक्रय, शहद, हथकरघा उत्पादों, दवाईयों या प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने से हो सकता है। कार्यकलाप नियमित तथा निर्धारित होना चाहिए। पुरानी पुस्तकों का एक बार विक्रय आयकर के लिए आय उत्पादन कार्य नहीं है। परन्तु यदि आप पुस्तक छपवाकर, एक निश्चित मूल्य पर उसको नियमित विक्रय करते हैं तो यह व्यावसायिक कार्य होगा।

---

[१] धारा ११ (५)

[२] धारा १०(२३ सी) के अन्तर्गत छूट प्राप्त जनसेवी संस्थाओं हेतु निवेश के कुछ अन्य स्वरूप भी उपलब्ध हैं।

[३] सामान्यतः सभी बड़े बैंक अनुसूचित बैंक हैं। संदेह की स्थिति में सम्बन्धित बैंक से पूछें।

[४] धारा ३६(१)(viii) हेतु

ऐसा कार्य आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत है। यदि इन कार्यों का लाभ पुण्यार्थ कार्यों में लगता है तब इसके लिए कोई कर नहीं देना होगा।

परन्तु, आप के लिए यह आवश्यक है कि इन कार्यकलापों (जैसा कि दूसरी स्थिति में दिया गया है) के लिए अलग रोकड़-बही तथा खाता-बही रखें। यदि आप ऐसा नहीं करते तो धारा-११ के अन्तर्गत छूट का लाभ आपके हाथों से निकल सकता है।

४. मुख्य व्यक्तियों के साथ लेन-देन

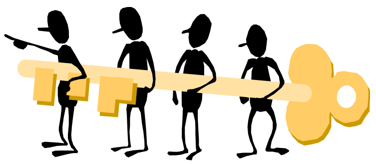

आयकर अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को हुए भुगतान पर पैनी नज़र रखते हैं जो जनसेवी संस्था को नियन्त्रित करते हैं। हमें दो बातें समझने की आवश्यकता हैः

१. कौन मुख्य व्यक्ति हो सकता है ?
२. कौन से लेन-देन इसके अन्तर्गत आते हैं ?

(क) मुख्य व्यक्ति कौन है ?

अधिनियम के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्ति[१] मुख्य व्यक्ति की तरह माने जाते हैंः

१ **न्यास के निर्माताः** वे व्यक्ति जिन्होंने प्रारम्भ में न्यास की स्थापना की हो; व्यस्थापक के नाम से भी जाने जाते हैं।

२ **संस्था के संस्थापकः** वे व्यक्ति जिन्होने संस्था की नियमावली पर हस्ताक्षर किया है, सामान्यतः संस्था के संस्थापक माने जाते हैं।

३ **मुख्य दाताः** कोई व्यक्ति जिनका न्यास या संस्था में संचयी अंशदान[२] ५०,००० रुपये से अधिक है।

४ **न्यासी, प्रबन्धकः** इसमें मुख्य कार्यवाहक, कार्यकारी निदेशक, निदेशक, सचिव, कार्यालय पदाधिकारी शामिल हैं।

५ **निकट सम्बन्धीः** ऊपरलिखित श्रेणी में से किसी का कोई सम्बन्धी। 'सम्बन्धी' का अर्थ[३] हैः

- विवाहित जोड़ा (पति / पत्नी)
- भाई या बहन, उनके बच्चे (भतीजे / भतीजियाँ)
- देवर, ननद, साला या साली, तथा उनके बच्चे।
- वन्श परम्परा में कोई भी गुरु जन (माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी) या सन्तति (बच्चे, नाती, पोते) - इसमें सौतेले बच्चे तथा सास-ससुर भी सम्मिलित हैं।

६ **सम्बन्धित प्रतिष्ठानः** कोई भी कम्पनी, व्यवसाय, या फर्म जिसमें ऊपरलिखित पाँचों श्रेणियों में से कोई व्यक्ति 'पर्याप्त हित' रखता हो। पर्याप्त हित का अर्थ है उस प्रतिष्ठान में या तो उनका २० प्रतिशत भाग है या २० प्रतिशत लाभ के अधिकारी हैं।

---

[१] धारा १३ (३)

[२] संस्था के प्रारम्भ होने से चालू वित्त वर्ष के अंत तक।

[३] सटीक परिभाषा हेतु धारा १३ की व्याख्या १ देखें।

(ख) किस प्रकार के भुगतान इसमें आते हैं।

ऐसे भुगतान धारा - १३(२) में सूचीबद्ध हैं। यह धारा ऐसे भुगतान का निषेध नहीं करती - यह उस समय सक्रिय होती है जब भुगतान अनुचित रूप से अधिक हैः

भुगतान का प्रकार	*मानदण्ड*
जनसेवी संस्था का धन या सम्पत्ति किसी मुख्य व्यक्ति को उधार दिया गया है।	❑ क्या पर्याप्त प्रतिभूति ली गई है। ❑ क्या पर्याप्त ब्याज प्रभारित किया जा रहा है।
जनसेवी संस्था द्वारा मुख्य व्यक्ति को वेतन तथा भत्ता दिया गया।	❑ क्या यह युक्तियुक्त[1] है या अधिक है।
जनसेवी संस्था की सेवा मुख्य व्यक्ति के लिए।	❑ क्या पर्याप्त पारिश्रमिक दिया गया है।
मुख्य व्यक्ति से सम्पत्ति (या अंश / निवेश) का क्रय।	❑ क्या राशि बहुत अधिक दी गई थी।
मुख्य व्यक्ति को सम्पत्ति (या अंश / निवेश) का विक्रय।	❑ क्या राशि बहुत कम ली गई थी।
जनसेवी संस्था की आय या सम्पत्ति जो मुख्य व्यक्ति को अपवर्तित (Diverted) कर दी गई हो।	❑ जहाँ सम्पत्ति / आय का कुल मूल्य एक हजार रुपये या उससे कम है, वहाँ लागू नहीं होता।

जैसा कि ऊपर वर्णनानुसार आप देख सकते हैं, इन उपवाक्यों में जो प्रतिबन्ध हैं वे बहुत ही जटिल तथा विवादास्पद हैं। अतः अच्छा यही रहेगा कि उन भुगतानों, जो स्पष्ट रूप से आवश्यक या न्यायसङ्गत हैं (जैसे- वेतन) को छोड़कर, ऐसे भुगतान से बचा जाए।

(ग) सम्पत्तियों का प्रयोग

समान प्रतिबन्ध वहाँ भी लागू होते हैं जहाँ जनसेवी संस्था की सम्पत्तियों का प्रयोग मुख्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। धारा-१३(२) में निम्नलिखित प्रकरणों का उल्लेख किया गया हैः

प्रयोग की प्रकृति	*मानदण्ड*
जनसेवी संस्था की भूमि, भवन या अन्य सम्पत्ति का मुख्य व्यक्ति द्वारा उपयोग।	क्या पर्याप्त किराया या क्षतिपूर्ति प्रभारित किया गया था।
जनसेवी संस्था की निधि का निवेश मुख्य व्यक्ति के कार्य-व्यापार में।	मुख्य व्यक्ति के कार्य-व्यापार की पूँजी के ५ प्रतिशत तक निवेश[2] किया जा सकता है।

घ) आयकर विवरणी जमा करना

सभी[3] जनसेवी संस्थाओं को प्रतिवर्ष आयकर विवरणी जमा करनी होगी। यह विवरणी प्रारूप 'III-क' में भरकर जमा करना होगा। प्रारूप 'III-क' आयकर कार्यालय में या ऐसी दुकानों पर जो शासकीय प्रारूप विक्रय करते हैं, उपलब्ध होता है। आपके शासपत्रित लेखापाल भी इसे रखते होंगे। यह प्रारूप किसी भी आयकर नियमों की संहिता में भी मिल जायेगा। आप इसे अन्तरताना (इन्टरनेट) से भी प्राप्त कर सकते हैं (http://incometaxdelhi.nic.in)।

---

[1] "युक्तियुक्त" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। वेतन का प्रयोग संदर्भ हेतु किया गया है।

[2] परन्तु धारा १३(१)(डी) के अन्तर्गत फिर भी अयोग्य किया जा सकता है।

[3] इस बारे में और अधिक जानने के लिए अगला पृष्ठ देखें।

याद रखें, यदि आपने आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पञ्जीकरण के लिए हाल ही में आवेदन किया है तो भी आप आयकर विवरणी जमा करना प्रारम्भ कर सकते हैं। पञ्जीकरण की स्वीकृति की प्रतीक्षा न करें- प्रारूप 'III-क' में सम्बन्धित स्थान पर 'आवेदन किया हुआ है' लिखें।

निम्नलिखित बातें सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। हमारा सुझाव है कि विवरणी जमा करने से पूर्व आप अपने शासपत्रित लेखापाल या किसी आयकर सलाहकार से परामर्श लें।

१. अन्तिम तिथि तथा अङ्केक्षण

आयकर विवरणी जमा करने वाली जनसेवी संस्थाओं को दो भागों में बाँटा जा सकता हैः छोटी जनसेवी संस्थाएँ तथा बड़ी जनसेवी संस्थाएँ। कौन छोटा है तथा कौन बड़ा है ? यह उनके सकल आय पर निर्भर करता है। यदि यह ५०,००० रुपये से अधिक है तो संस्था बड़ी है, अन्यथा संस्था छोटी है। इस आय की गणना आयकर अधिनियम के अन्तर्गत धारा-११ या १२ की कटौती घटाए बिना करनी चाहिए। उलझा हुआ प्रतीत होता है ? व्यवहारिक उद्देश्य हेतु, अधिकतर जनसेवी संस्थाएँ जो प्रशासन या किसी दातव्य संस्था से अनुदान प्राप्त कर रही हैं, आयकर की परिभाषा के अन्तर्गत बड़ी जनसेवी संस्थाएँ मानी जाती हैं।

(क) बड़ी जनसेवी संस्थाएँ

प्रारूप 'III-क' में भरकर विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि ३१ अक्तूबर है। इसका आशय यह है कि १-अप्रैल-०४ से प्रारंभ होकर ३१-मार्च-०५ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आयकर विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि ३१-अक्तूबर-०५ होगी। प्रारूप १०-ख में भरकर अङ्केक्षण प्रतिवेदन भी आयकर विवरणी के साथ संलग्न करना चाहिए।

(ख) छोटी जनसेवी संस्थाएँ

प्रारूप 'III-क' में भरकर विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि ३१ जुलाई है। प्रारूप १०-ख में भरकर अङ्केक्षण प्रतिवेदन आयकर विवरणी के साथ संलग्न करना आवश्यक नहीं है।

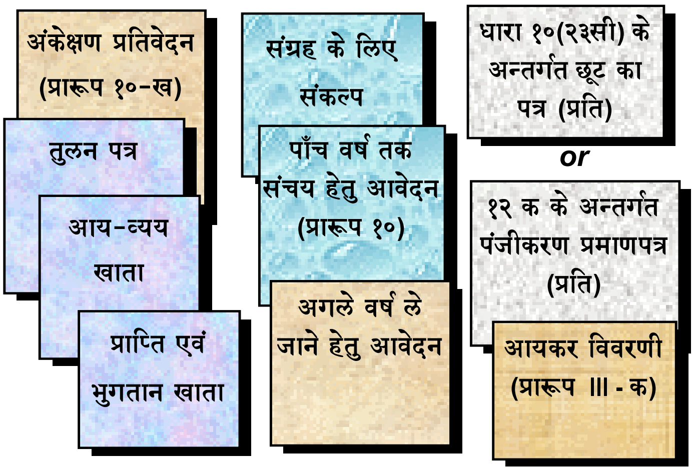

आयकर विवरणी का एक पूर्ण समूह

सभी दृष्टिकोण से पूर्ण विवरणी आयकर विभाग में जमा करवाना चाहिए। वे इसके लिए आपको मुद्राङ्कित स्वीकृति-पत्र देंगे।

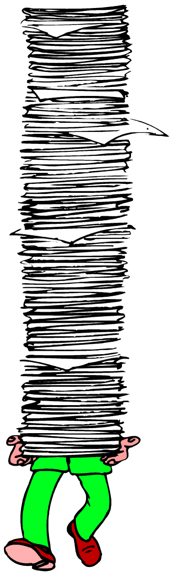

विवरणी जमा करने से पहले, यह जाँच कर लें कि आपने बायीं ओर चित्र में दिखाए गये सभी प्रपत्रों को संलग्न कर दिया है। यदि आपने कोई प्रपत्र छोड़ दिया है तो इसके बारे में संतुष्ट हो लें कि उसकी आवश्यकता नहीं है। यह सम्भव है कि सभी दृष्टिकोण से पूर्ण विवरणी दायें चित्र की तरह दिखें।

ङ) दान हेतु अनुमोदन

यदि आप अपने मित्रों या लोगों से धन उद्ग्रहण करना चाहते हैं तो वे यह पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें कर में कटौती मिलेगी। यदि आपकी संस्था धारा ८०-जी या ३५-एसी के अन्तर्गत अनुमोदित नहीं हैं तो आपका उत्तर 'नहीं' होगा। याद रखें धारा-१२ के अन्तर्गत पञ्जीकरण आपको (जनसेवी संस्थाओं को) कर-मुक्त बनाता है- यह दाता को कोई लाभ नहीं पहुँचा सकता।

यदि आप अपने दाताओं को कर छूट का लाभ देना चाहते हैं तो आपको धारा ८०-जी तथा धारा ३५ एसी के अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

१· धारा - ८०जी के अन्तर्गत ५० प्रतिशत

इसका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आपको प्रारूप-१०जी भरकर स्थानीय[१] आयकर कार्यालय में आवेदन करना होगा। सामान्यतः यह अनुमोदन २-३ वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है परन्तु इसका नवीनीकरण कराया जा सकता है। यह एक सामान्य अनुमोदन है तथा आप किसी भी पुण्यार्थ कार्य के लिए धन उद्ग्रहण कर सकते हैं।

दाता अपनी कर योग्य आय पर ५० प्रतिशत की कटौती प्राप्त करते हैं। इसको ध्यान से समझ लेंः- वे अपनी आय पर ५० प्रतिशत की कटौती प्राप्त करते हैं, अपने आयकर में नहीं। अधिकतर लोग इससे भ्रमित होते हैं। अतः इसे एक उदाहरण के द्वारा देखते हैंः

सुश्री अन्जु, लोक जागरण मञ्च को धारा- ८० जी के अन्तर्गत १,००० का दान देती हैं। अन्जु की वर्ष ९८-९९[२] की कुल कर योग्य आय १००,००० रुपये है। इस पर कर की राशि ९,००० रुपये है। इस दान के कारण उनकी आय घट कर ९९,५०० रुपये हो जायेगी। इस पर अब ८,९०० रुपये कर बनेगा। इस प्रकार उनकी कर बचत मात्र १०० रुपये हुई।

वह इस कटौती का दावा करने के योग्य तभी होंगी जब आप उन्हें रसीद देंगे। इस रसीद पर ८०-जी अनुमोदन क्रमांक भी होना चाहिए। प्रयास करें कि दान धनादेश से प्राप्त हो- यह उन्हें दान को आयकर अधिकारी के समक्ष प्रमाणित करने में सहायक होगा।

२· धारा - ३५ एसी के अन्तर्गत १०० प्रतिशत

यदि आपने धारा-३५ एसी के अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त किया है तो अन्जु थोड़ा सा और धन बचा सकती हैं। धारा- ३५ एसी के अन्तर्गत समान १,००० रुपये का दान देने से उन्हें अपनी आय में से १,००० रुपये की कटौती करने का दावेदार बना देगा। उनकी अब शुद्ध आय ९९,००० रुपये होगी। इस पर अब कर ८,८०० रुपये होगा। इस प्रकार वह २०० रुपये बचाएँगी।

धारा-३५ एसी के अन्तर्गत अनुमोदन के लिए दिल्ली में केन्द्रीयकृत[३] कार्यालय है। इसके लिए आपको एक अलग आवेदन प्रारूप भरना पड़ेगा (देंखे प्रारूप पृष्ठ ९५ पर)। यह अनुमोदन किसी विशेष परियोजना के लिए दिया जाता है तथा इसमें दी गई सीमा तक ही आप इसके अन्तर्गत धन उद्ग्रहण कर सकते हैं। यह अनुमोदन अब काय[४] आधारित परियोजना के लिए भी उपलब्ध है। यह याद रखें कि मंत्रालय आपको कोई निधि नहीं देगा - केवल कर कटौती योग्य दान उद्ग्रहण हेतु अनुमोदन प्रदान करेगा।

अनुमोदन सामान्यतः २-३ वर्ष के लिए होता है किन्तु इसे बढ़ाया जा सकता है। आपको प्रत्येक दाता को प्रारूप ५८-ए में एक प्रमाण-पत्र देना होगा, इस प्रमाण-पत्र के बिना दाता कटौती के लिए दावा नहीं कर सकते। आपको राष्ट्रीय समिति में आवधिक उन्नति प्रतिवेदन भी जमा करना होगा।

---

[१] परिक्षेत्र हेतु अपने शासपत्रित लेखापाल या आयकर सलाहकार से सम्पर्क करें।

[२] वित्तीय वर्ष

[३] इसके लिए "सचिव, राष्ट्रीय समिति सामाजिक एंव आर्थिक कल्याण प्रवर्तन, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कमरा क्रमांक १४९, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली- ११० ००१" को आवेदन करें।

[४] कॉर्पस (Corpus)